राजस्थान सरकार

[कार्या]लय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

[पीठासी]न अधिकारी :– बन्शी धर योगी आर0ए0एस0

[प्रकरण] संख्या :– 138/2024 [illegible]

मंजूदेवी [illegible] [illegible]

बनाम

[illegible]

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: **दिनांक** 18/6/24

[प्र]ार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत [आव]ेदन किया कि ग्राम [illegible] पटवार हल्का [illegible] तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त [खाते क]ी खाता संख्या [illegible] आराजी नम्बर 227/2,

कुलकिता 1 रकबा 1.2899 हैक्टेयर भूमि [है]। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन [स]बंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की [पत्थरग]ढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23/5/24 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को [अवलोक]नार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी [करवाने] का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी [क]ा अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते [नैस]र्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम [illegible] पटवार हल्का [illegible] तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या [आ]राजी नम्बर 227/2,

कुलकिता 1 रकबा 1.2899 हैक्टेयर भूमि [चारों] तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक. [illegible] को 600/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर [प्र]ार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौंके व [भूमि] की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकिल बिन्दु के आधार पर पत्थरगढी की जावें। फसल [खड़ी] होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

[संलग्न]:– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.07.31 17:23:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

[प्रतिलि]पि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार [पत्थरग]ढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा